संख्या— / xxvii(10) / 2017 / 09(36)07

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—10

देहरादून: दिनांक 17 जून, 2017

विषयः— उत्तराखण्ड राज्य सरकार के सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमन्यता विषयक।

महोदय / महोदया,

राज्य सरकार के वर्तमान आदेशों के अधीन ऐसे पारिवारिक पेंशनरों, जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में अथवा उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत अनुमन्य नहीं है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश संख्या—45 / 73 / 97—पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी), दिनांक 02.07.1999 के अनुसार केन्द्र सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर भी महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

3. शासन को निरन्तर इस प्रकार के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि राज्य सरकार के अधीन सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को वेतन पर महंगाई भत्ते के साथ—साथ पारिवारिक पेंशन पर भी महंगाई राहत का भुगतान अनुमन्य किया जाये।

4. प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो राज्य सरकार की सेवाओं में अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / सहकारी संस्थाओं आदि में सेवायोजित हैं तथा इस कारण उनकी पारिवारिक

क्रमशः पृष्ठ—2,

पेंशन पर महगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है, को तात्कालिक प्रभाव से वेतन पर महगाई भत्ते के भुगतान के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर भी महगाई राहत का भुगतान अनुमन्य होगा, किन्तु इसके अधीन किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

5. इस शासनादेश के क्रम में, सेवायोजित पारिवारिक पेंशनर द्वारा पारिवारिक पेंशन पर राहत का भुगतान प्रारम्भ किये जाने हेतु अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त आवेदन के आधार पर कोषागार द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पारिवारिक पेंशन पर प्रचलित दर से महगाई राहत का भुगतान प्रारम्भ किया जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 175/XXVII(10)/2017/09(36)07 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊँ मण्डल।
4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव